तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
7.8.20 विपक्षी सं. 7 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहता है। [signature] 7/8/20	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थीगण उपस्थित अप्रार्थीगण 01 लगायत 06 व 8 के सम्मन बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल पत्रावली किये गये, वकील प्रार्थीगण अप्रार्थी सं. 7 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहते है। तहसीलदार मांडल से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थीगण को कितनी मर्तबा आवाजे दिलायी जाने उपरान्त भी उपस्थित नही, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश दिये जाते है। विवादित आराजियात का पूर्व मे सीमाज्ञान नही कराया गया। वकील प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। [signature] **उपखण्ड अधिकारी** **मांडल जिला भीलवाड़ा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 14:13:40 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

ासीन अधिकारी–महीपाल सिंह, आर.ए.एस.

ा संख्या – 25/20 प्रा.पत्र

श्री गफरलाल s/o श्री दल्ला माली निवासी माण्डल तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)

–प्रार्थी

बनाम

श्री धारा s/o श्री गीलु माली निवासी- मालीखेड़ा तहसील-माण्डल (भीलवाड़ा)
(प्रा.पत्र की फोटो कॉपी संलग्न है)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 07.08.20

::आदेश::

ार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन ि्या कि ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके ाते /संयुक्त खाते की आराजी नं. 39,40,41,42,47,48,531/46 कुल किता 07 रकबा 04 ीघा 14 बिस्वा स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह हीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते ी भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.03.20 को पंजीबद्ध किया जाकर करण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्तं काश्त की होने से त्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी अभिलेख में किसी प्रकार की ेरा–फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकर निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को ेखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मालीखेड़ा पटवार हल्का सुरास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 39,40,41,42,47,48 531/46 कुल किता 07 रकबा 04 बीघा 14 बिस्वा भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक मौजा 400/– रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mahipal Singh
Date: 2020.09.23 14:13:40 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

Scanned with CamScanner